



भारत सरकार

Government of India

सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

Ministry of Statistics and Programme Implementation

नेशनल सेम्पल सर्वे कार्यालय (क्षेत्र संकार्य प्रभाग)

National Sample Survey Office (Field Operations Division)

बी-ब्लॉक, प्रथम तल संजय कॉम्प्लेक्स जयेंद्रगंज, क्षेत्रीय कार्यालय ग्वालियर म.प्र. (प.) 474009

No.G-20011/सिक्वोरिटी गार्ड/म.प्र.प./2015-16

Date 29/09/2015

कुटेशन लेटर**विषय:- क्षेत्रीय कार्यालय ग्वालियर में एक सुरक्षागार्ड की सेवाओं की दर देने बावत् ।**

महोदय,

इस कार्यालय को एक सुरक्षागार्ड की आवश्यकता है जिसके लिए नीचे दिये गये विवरण के अनुसार कुटेशन आमंत्रित किये जाते हैं ।

| | |
|-----|--|
| 1. | सुरक्षागार्ड की ड्यूटी कार्यालय समय सुबह 9:30 से लेकर सांय 6:00 तक होगी |
| 2. | सुरक्षागार्ड शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ एवं सक्षम होना चाहिए जिससे सुरक्षा का कार्य ठीक प्रकार से कर सके । सुरक्षागार्ड की अधिकतम आयु 50 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए । |
| 3. | सुरक्षागार्ड की सेवाओं का भुगतान अनुमोदित दरों के अनुसार एजेन्सी को किया जायेगा न कि व्यक्तिगत रूप से सुरक्षागार्ड को । |
| 4. | तैनात सुरक्षागार्ड को किसी भी प्रकार से अनुपस्थित होने की सूचना एजेन्सी को देने के पश्चात एक घण्टे के अन्दर एजेन्सी को दूसरे सुरक्षागार्ड की एजेन्सी द्वारा वैकल्पिक व्यवस्था न किये जाने की स्थिति में समानुपात सेवा चार्ज काट लिया जायेगा । |
| 5. | कुटेशन में सर्विस टेक्स आदि का स्पष्ट रूप से उल्लेख हो अन्यथा कोट किये गये दर को ही अंतिम मान लिया जायेगा । |
| 6. | सिक्वोरिटी एजेन्सी रजिस्टर्ड होनी चाहिए, कुटेशन पत्र पर अपना रजिस्ट्रेशन न. एवं सर्विस टेक्स न. अंकित करे जिसके अभाव में आपके द्वारा दिया गया कुटेशन निरस्त कर दिया जायेगा । |
| 7. | कुटेशन अपने Letter Head पर जिसमें आपका रजिस्ट्रेशन संख्या अंकित हो, सील बन्द लिफाफे में जिस पर बड़े अक्षरों में (Quotations for Providing Security Guard) लिखा हो, अघोहस्ताक्षरी के पास दिनांक 15.10.2015, समय 5 बजे तक पंजीकृत डाक से प्रेषित करें । दिनांक 15.10.2015 के बाद प्राप्त कुटेशन स्वीकार नहीं किया जायेगा पोस्ट विलम्ब के लिए यह कार्यालय जिम्मेदार नहीं होगा । |
| 8. | इस कार्यालय को कोई भी कुटेशन बिना किसी कारण बताये निरस्त करने का पूर्ण अधिकार अघोहस्ताक्षरी को होगा । |
| 9. | किसी भी प्रकार के वाद का निपटारा सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा नामित अधिकारी द्वारा किया जायेगा एवं इसका क्षेत्र अधिकार ग्वालियर अथवा मंत्रालय द्वारा तय स्थान होगा । |
| 10. | प्राप्त की गयी कुटेशन को दिनांक 28.10.2015 समय 4:00 बजे कार्यालय में खोला जायेगा जिस दौरान आप अथवा आपका कोई प्रतिनिधि उपरोक्त तिथि को कार्यालय में उपस्थित हो सकता है । यदि आपका प्रतिनिधि उपरोक्त दिनांक को कार्यालय में उपस्थित नहीं होता है तो कुटेशन खोलने की प्रक्रिया स्थागित नहीं की जायेगी । |
| 11. | आपको कुटेशन के साथ में इस तथ्य का प्रमाण पत्र देना होगा कि आपकी एजेन्सी को कभी भी किसी भी शासकीय कार्यालय द्वारा Black listed नहीं किया गया है । प्रमाण पत्र न होने की स्थिति में अथवा झूठा पाया जाने पर आपके द्वारा दिया गया कुटेशन निरस्त कर दिया जायेगा । |

प्रभात फाटक

अधीक्षण अधिकारी एवं कार्यालय प्रमुख